



# THE ASSAM GAZETTE

অসাধাৰণ

EXTRAORDINARY

প্ৰাপ্ত কৰ্তৃত্বৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত

PUBLISHED BY THE AUTHORITY

নং 491 দিশপুৰ, শুক্ৰবাৰ, 18 অক্টোবৰ 2024, 26 আহিন, 1946 (শক)  
No. 491 Dispur, Friday, 18th October, 2024, 26th Asvina 1946 (S. E.)

GOVERNMENT OF ASSAM  
ORDERS BY THE GOVERNOR  
OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, ASSAM

## NOTIFICATION

The 18th October, 2024  
26 Asvina, 1946 (Saka)

**No. ELE 76/2024/101.-** The Notification No. 100/1/AS-LA/2024, Dated 18<sup>th</sup> October, 2024 {5 (five) Nos. Notifications} of Election Commission of India, is hereby published for general information.

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

## Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 18<sup>th</sup> October, 2024

26 Asvina, 1946 (Saka)

### NOTIFICATION

**No. 100/1/AS-LA/2024.-** Whereas, the seat of Sh. Parimal Suklabaidya in the Legislative Assembly of the State of Assam elected from **11-Dholai (SC) Assembly Constituency**, has become vacant on **14<sup>th</sup> June, 2024**, by reason of his resignation.

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW THEREFORE**, in pursuance of sub-section (2) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said **11-Dholai (SC) Assembly Constituency** in the State of Assam, to elect before 25<sup>th</sup> November, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Caste of the State, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State.

(B) **Appoints**, with respect of the said election:-

- (a) the 25<sup>th</sup> October, 2024 (Friday), as the last day for making nominations;
- (b) the 28<sup>th</sup> October, 2024 (Monday), as the date for scrutiny of nominations;
- (c) the 30<sup>th</sup> October, 2024 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidature;
- (d) the 13<sup>th</sup> November, 2024 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 25<sup>th</sup> November, 2024 (Monday), as the date before which the election shall be completed;

(C) **Fixes the hours from 07:00 A.M. to 05:00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

(N. T. BHUTIA)  
PRINCIPAL SECRETARY  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

## Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 18<sup>th</sup> October, 2024

26 Asvina, 1946 (Saka)

### NOTIFICATION

**No. 100/1/AS-LA/2024.-** Whereas, the seat of Sh. Joyanta Basumatary in the Legislative Assembly of the State of Assam elected from **31-Sidli (ST) Assembly Constituency**, has become vacant on **12<sup>th</sup> June, 2024**, by reason of his resignation.

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW THEREFORE**, in pursuance of sub-section (2) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said **31-Sidli (ST) Assembly Constituency** in the State of Assam, to elect before 25<sup>th</sup> November, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Tribe of the State, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State.

(B) **Appoints**, with respect of the said election:-

- (a) the 25<sup>th</sup> October, 2024 (Friday), as the last day for making nominations;
- (b) the 28<sup>th</sup> October, 2024 (Monday), as the date for scrutiny of nominations;
- (c) the 30<sup>th</sup> October, 2024 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidature;
- (d) the 13<sup>th</sup> November, 2024 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 25<sup>th</sup> November, 2024 (Monday), as the date before which the election shall be completed;

(C) **Fixes the hours from 07:00 A.M. to 05:00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

(N. T. BHUTIA)  
PRINCIPAL SECRETARY  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

## Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 18<sup>th</sup> October, 2024  
26 Asvina, 1946 (Saka)

### NOTIFICATION

**No. 100/1/AS-LA/2024.-** Whereas, the seat of Sh. Phani Bhusan Choudhry in the Legislative Assembly of the State of Assam elected from **32-Bongaigaon Assembly Constituency**, has become vacant on **14<sup>th</sup> June, 2024**, by reason of his resignation.

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said **32-Bongaigaon Assembly Constituency** in the State of Assam, to elect before 25<sup>th</sup> November, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State.

(B) **Appoints**, with respect of the said election:-

- (a) the 25<sup>th</sup> October, 2024 (Friday), as the last day for making nominations;
- (b) the 28<sup>th</sup> October, 2024 (Monday), as the date for scrutiny of nominations;
- (c) the 30<sup>th</sup> October, 2024 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidature;
- (d) the 13<sup>th</sup> November, 2024 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 25<sup>th</sup> November, 2024 (Monday), as the date before which the election shall be completed;

(C) **Fixes the hours from 07:00 A.M. to 05:00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

(N. T. BHUTIA)  
PRINCIPAL SECRETARY  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

## Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 18<sup>th</sup> October, 2024

26 Asvina, 1946 (Saka)

### NOTIFICATION

**No. 100/1/AS-LA/2024.-** Whereas, the seat of Sh. Ranjit Dutta in the Legislative Assembly of the State of Assam elected from **77-Behali Assembly Constituency**, has become vacant on **18<sup>th</sup> June, 2024**, by reason of his resignation.

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said **77-Behali Assembly Constituency** in the State of Assam, to elect before 25<sup>th</sup> November, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State.

(B) **Appoints**, with respect of the said election:-

- (a) the 25<sup>th</sup> October, 2024 (Friday), as the last day for making nominations;
- (b) the 28<sup>th</sup> October, 2024 (Monday), as the date for scrutiny of nominations;
- (c) the 30<sup>th</sup> October, 2024 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidature;
- (d) the 13<sup>th</sup> November, 2024 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 25<sup>th</sup> November, 2024 (Monday), as the date before which the election shall be completed;

(C) **Fixes the hours from 07:00 A.M. to 05:00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

(N. T. BHUTIA)  
PRINCIPAL SECRETARY  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

## Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 18<sup>th</sup> October, 2024

26 Asvina, 1946 (Saka)

### NOTIFICATION

**No. 100/1/AS-LA/2024.-** Whereas, the seat of Sh. Rakibul Hussain in the Legislative Assembly of the State of Assam elected from **88-Samaguri Assembly Constituency**, has become vacant on **11<sup>th</sup> June, 2024**, by reason of his resignation.

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said **88-Samaguri Assembly Constituency** in the State of Assam, to elect before 25<sup>th</sup> November, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State.

(B) **Appoints**, with respect of the said election:-

- (a) the 25<sup>th</sup> October, 2024 (Friday), as the last day for making nominations;
- (b) the 28<sup>th</sup> October, 2024 (Monday), as the date for scrutiny of nominations;
- (c) the 30<sup>th</sup> October, 2024 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidature;
- (d) the 13<sup>th</sup> November, 2024 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 25<sup>th</sup> November, 2024 (Monday), as the date before which the election shall be completed;

(C) **Fixes the hours from 07:00 A.M. to 05:00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

(N. T. BHUTIA)  
PRINCIPAL SECRETARY  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

ANURAG GOEL,  
Chief Electoral Officer, Assam,  
Dispur, Guwahati-06.

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

दिनांक: 18 अक्टूबर, 2024

26 आश्विन, 1946 (शक)

## अधिसूचना

सं. 100/1/एस-वि.स./2024:- यतः, असम राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 11-धोलाई (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री परिमल शुक्लाबैद्या की सीट उनके त्यागपत्र दिए जाने के कारण 14 जून, 2024 को रिक्त हो गई है;

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है ;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (2), और धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा -

(अ) असम राज्य में उक्त 11-धोलाई (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करता है कि वे 25 नवंबर 2024 से पूर्व और उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार, राज्य के विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को, चाहे वह राज्य के किसी भी अनुसूचित जाति का हो, निर्वाचित कर दें।

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में नियत करता है, -

(क) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख - 25 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार);

(ख) नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 28 अक्टूबर, 2024 (सोमवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 30 अक्टूबर, 2024 (बुधवार);

(घ) वह तारीख, जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान कराया जाएगा - 13 नवंबर, 2024 (बुधवार); और

(ङ) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 25 नवंबर, 2024 (सोमवार);

(स) पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

आदेश से,

(एन. टी. भूटिया)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

दिनांक: 18 अक्टूबर, 2024

26 आश्विन, 1946 (शक)

## अधिसूचना

सं. 100/1/एएस-वि.स./2024:- यतः, असम राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 31-सिडली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री जोयांता बासुमतारी की सीट उनके त्यागपत्र दिए जाने के कारण 12 जून, 2024 को रिक्त हो गई है;

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है ;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (2), और धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा -

(अ) असम राज्य में उक्त 31-सिडली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करता है कि वे 25 नवंबर 2024 से पूर्व और उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार, राज्य के विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को चाहे वह राज्य के किसी भी अनुसूचित जनजाति का हो, निर्वाचित कर दें।

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में नियत करता है, -

(क) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख - 25 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार);

(ख) नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 28 अक्टूबर, 2024 (सोमवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 30 अक्टूबर, 2024 (बुधवार);

(घ) वह तारीख, जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान कराया जाएगा - 13 नवंबर, 2024 (बुधवार); और

(ङ) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 25 नवंबर, 2024 (सोमवार);

(स) पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

आदेश से,

(एन. टी. भूटिया)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग



# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

दिनांक: 18 अक्टूबर, 2024

26 आश्विन, 1946 (शक)

## अधिसूचना

सं. 100/1/एस-वि.स./2024:- यतः, असम राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 32-बोंगईगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री फणि भूषण चौधरी की सीट उनके त्यागपत्र दिए जाने के कारण 14 जून, 2024 को रिक्त हो गई है;

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है ;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1), और धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा -

(अ) असम राज्य में उक्त 32-बोंगईगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करता है कि वे 25 नवंबर 2024 से पूर्व और उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार, विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दें।

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में नियत करता है, -

(क) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख - 25 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार);

(ख) नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 28 अक्टूबर, 2024 (सोमवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 30 अक्टूबर, 2024 (बुधवार);

(घ) वह तारीख, जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान कराया जाएगा - 13 नवंबर, 2024 (बुधवार); और

(ङ) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 25 नवंबर, 2024 (सोमवार);

(स) पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

आदेश से,

(एन. टी. भूटिया)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

दिनांक: 18 अक्टूबर, 2024

26 आश्विन, 1946 (शक)

## अधिसूचना

सं. 100/1/एएस-वि.स./2024:- यतः, असम राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 77-बेहाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री रंजीत दत्ता की सीट उनके त्यागपत्र दिए जाने के कारण 18 जून, 2024 को रिक्त हो गई है;

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (2), और धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा –

(अ) असम राज्य में उक्त 77-बेहाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करता है कि वे 25 नवंबर 2024 से पूर्व और उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार, राज्य के विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दें।

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में नियत करता है, -

(क) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख – 25 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार);

(ख) नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – 28 अक्टूबर, 2024 (सोमवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख – 30 अक्टूबर, 2024 (बुधवार);

(घ) वह तारीख, जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान कराया जाएगा - 13 नवंबर, 2024 (बुधवार); और

(ङ) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 25 नवंबर, 2024 (सोमवार);

(स) पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

आदेश से,

(एन. टी. भूटिया)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

दिनांक: 18 अक्टूबर, 2024

26 अश्विन, 1946 (शक)

### अधिसूचना

सं. 100/1/एएस-वि.स./2024:- यतः, असम राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 88-सामगुड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री रकीबुल हुसैन की सीट उनके त्यागपत्र दिए जाने के कारण 11 जून, 2024 को रिक्त हो गई है;

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है ;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1), और धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा -

(अ) असम राज्य में उक्त 88-सामगुड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करता है कि वे 25 नवंबर 2024 से पूर्व और उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार, विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दें।

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में नियत करता है, -

(क) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख - 25 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार);

(ख) नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 28 अक्टूबर, 2024 (सोमवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 30 अक्टूबर, 2024 (बुधवार);

(घ) वह तारीख, जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान कराया जाएगा - 13 नवंबर, 2024 (बुधवार); और

(ङ) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 25 नवंबर, 2024 (सोमवार);

(स) पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

आदेश से,

(एन. टी. भूटिया)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

श्री अनुराग गोयल,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम